**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान**

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–359/2026**

**सिवान महिला थाना कांड सं0–04/2026 से उत्पन्न**

**अंतर्गत धारा–64, 115(2), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस.**

**(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)**

**जावेद अली व अन्य ..... आवेदकगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

**बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी**

---

**उपस्थितः–श्री मो0 मोईनुद्दीन उर्फ मुन्ना, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
**श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से**

---

***आ–दे–श***

**11.05.2026**

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. जावेद अली 2. जुबैदा खातुन 3. रईस आलम 4. शमशेर आलम की ओर से सिवान महिला थाना कांड सं0–04/2026, अंतर्गत धारा–64, 115(2), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका रूकसार खातुन के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका के पड़ोसी अरमान अली ने लगभग एक वर्ष पूर्व बारह बजे दिन में सूचिका को अपने घर में किसी जरूरी काम से धोखेबाजी से बुलाया तथा बोला कि अम्मी तुमको शीघ्र ही बुला रही है। सूचिका विश्वास में आकर अरमान अली के घर गई तो देखी की घर मे कोई नहीं है। सूचिका कुछ समझ पाती तब अरमान अली सूचिका के सीने पर चाकू भीड़ा दिया तथा घर का दरवाजा बंद कर के बोला कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ अन्यथा जान से मार देंगे तथा पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देंगे। अरमान अली अपने परिवारिक सदस्यों से कहने तथा मुकद्मा करने पर सूचिका का अश्लील फोटो वायरल करने तथा उपरोक्त गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दिया। सूचिका को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर सूचिका को ब्लैकमेल कर अरमान अली बलात्कार करता रहा। अंततः ब्लैकमेल से परेशान होकर दिनांक 03.01.2026 को सुबह में सूचिका अपनी सारी बाते अपने माता–पिता एवं परिवार के सदस्यों को बताई तो उसके परिवार के सदस्यों ने दिनांक 03.01.2026 को ही लगभग बारह बजे दिन में सूचिका को अरमान अली के घर ले जाकर उसकी शिकायत गफ्फार मियां, जुलेखा खातुन, जुबैदा खातुन, रईस आलम, शमशेर आलम, जावेद अली से किया तो उपरोक्त सभी लोग एक सुनियोजित साजिश के तहत बंद कमरे में राय कर सूचिका को शादी का झॉसा दिये। सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों ने जब इंसाफ की बात कहते हुए कानूनी शरण लेने की बात कही, तब वे लोग आग बबूला होकर सूचिका तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट किये। उसी दिन पंचायती में पंचों के समक्ष अरमान, गफ्फार, जुलेखा खातुन, रईस, जुबैदा एवं जावेद अपनी गलती स्वीकार किये।

**लगातार**
**11.05.2026**

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया वे निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें गलत इरादे से झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं तथा उनके विरूद्ध कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को इस मुकद्मा से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः अभियोजन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका के सीने पर चाकू भीड़ा कर सूचिका को दुर्ष्कम करने उसका फोटो वायरल करने का अभियोग है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद सिवान महिला थाना कांड सं0–04/2026, अंतर्गत धारा–64, 115(2), 351(2), 352, 3(5) बी.एन.एस., सह अभियुक्त अरमान अली के द्वारा सूचिका के साथ बलात्कार करने तथा इसकी शिकायत सह अभियुक्त अरमान अली के घर के सदस्यों से करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। प्रस्तुत आपराधिक वाद का मुख्य आरोपी अरमान अली है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कारित करने का कोई विशिष्ट अभियोग**(specific allegation)**नहीं है और जिसकी पुष्टि कांड दैनिकी की कंडिका 56 में वर्णित तथ्यों से होती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. जावेद अली 2. जुबैदा खातुन 3. रईस आलम 4. शमशेर आलम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है, तद्नुसार उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवदेन स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में इनकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/–(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**लेखापित**

ह0/–

**(सुशील कुमार त्रिपाठी)**

**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।**

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 359/2026
जावेद अली व अन्य बनाम बिहार सरकार
न्यायालय, श्री सुशील कुमार त्रिपाठी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।